

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 113 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.12.18

प्रेस विज्ञप्ति

1. ग्रेटर नौएडा वेस्ट एरिया तीव्र गति से विकसित हो रहा है, यहां पर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवन एवं भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जिसके साथ ही विभिन्न बिल्डरों/डेवलपरो द्वारा भी प्लैट आवंटित किये गये हैं। ग्रेटर नौएडा वेस्ट क्षेत्र जो कि गाजियाबाद, नौएडा तथा दिल्ली के निकट है, में रहने वाले सभी निवासियों को सुगम परिवहन की सुविधा हेतु मेट्रो रेल परियोजना फेज-2 को दो चरणों में उपविभाजित कर अधिक घनत्व वाले ग्रेटर नौएडा एक्सटेंशन के आवासीय सेक्टरों को प्रथम चरण में सम्मिलित कर निर्माण को पहले कराने जाने से अधिक राईडरशिप मिलने की सम्भावना है। नौएडा के सेक्टर-71 से ग्रेटर नौएडा नालेज पार्क-5 तक मेट्रो परियोजना फेज-2 की परियोजना के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय किये गये हैं—
 - मेट्रो परियोजना फेज-2 को दो चरणों में उपविभाजित करते हुये परियोजना की पूर्ण लागत रू0 2602 करोड़ प्रथम चरण में रू0 1521 करोड़ होगी।
 - शासन से मेट्रो परियोजना फेज-2 के प्रस्तावित परियोजना की डी0पी0आर0 का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये । एन0एम0आर0सी0 को नोडल एजेन्सी के रूप में परियोजना के क्रियान्वयन करने के लिये अनुरोध किया जाये जिसके अन्तर्गत परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने का दायित्व एन0एम0आर0सी0 को दिया जाये।
 - मेट्रो परियोजना के फेज-2 को 02 चरणों में उप विभाजित करते हुये प्रथम चरण को पहले क्रियान्वित करने एवं कुल लागत में से ग्रेटर नौएडा की अनुमानित सहभागिता लागत रू0 151 करोड़ के अंशदान की अनुमति प्रदान की गयी। साथ ही एन0एम0आर0सी0 द्वारा मेट्रो परियोजना फेज-2 के प्रथम चरण की शेष लागत के सम्बन्ध में भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार एवं नौएडा प्राधिकरण से अंशदान की धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के परियोजना तथा भूविभाग द्वारा संयुक्त रूप से मेट्रो के लिये प्रस्तावित संरेखन में आने वाली भूमि की भू-अर्जन की स्थिति, अतिक्रमण एवं भौतिक सर्वेक्षण का कार्य सुनिश्चित कराये जाने का भी निर्णय लिया गया ।
2. ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों, निवेशकों को पूँजी निवेश हेतु आकर्षित करने के लिये प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रचलित औद्योगिक भूखण्ड आवंटन नीति में सरलीकरण एवं पारदर्शी किये जाने के आशय से निम्नानुसार बदलाव किये गये हैं—
 - ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनिर्मित/अक्रियाशील औद्योगिक भूखण्डों (Non Functional Industrial Plots) का हस्तान्तरण अनुमन्य नहीं किया गया था। चूंकि वर्तमान तक कुल 2496 औद्योगिक आवंटनों के विरुद्ध 1660 औद्योगिक इकाईयां ही क्रियाशील हैं। शेष 836 औद्योगिक आवंटनों पर इकाईयां क्रियाशील नहीं हैं। अतः ऐसे आवंटी जो अपनी इकाई/उद्यम लगाने के प्रति गंभीर नहीं हैं, उनको निम्नलिखित शर्तों के अधीन अक्रियाशील औद्योगिक भूखण्डों को हस्तांतरित (Non Functional Transfer) करने की सुविधा एक वर्ष की समयावधि हेतु प्रदान की जा रही है—
 - i) अक्रियाशील भूखण्डों/इकाईयों को समस्त देय जमा कराने के उपरान्त वर्तमान प्रचलित आवंटन दर का 30 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर की दर से हस्तान्तरण शुल्क प्राप्त करते हुये हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।
 - ii) उपरोक्तानुसार भूखण्ड के हस्तान्तरण की सुविधा मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी इसके पश्चात क्रियाशील होने पर ही इकाई का हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की जायेगी। अक्रियाशील हस्तान्तरित इकाई को क्रियाशीलता हेतु भूखण्ड के आकार के अनुसार श्रेणीवार 250 से 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड हेतु 24 माह, 2000 से 10000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड हेतु 36 माह एवं 10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु 48 माह का समय निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। उक्त समयावधि में इकाई को क्रियाशील करना अनिवार्य होगा।

- वर्तमान में प्रचलित प्राविधान के अनुरूप आवेदको को औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के समय अपनी इच्छानुसार भूखण्ड एवं सेक्टर चयन करने हेतु तीन विकल्प के स्थान 10 विकल्प चयन करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के औद्योगिक सेक्टर-इकोटेक-11 के उद्यमियों/आवंटियों को भूखण्ड की लीज डीड निष्पादन कराये जाने की तिथि 30.09.2018 को बढ़ाकर दिनांक 31.03.2019 तक कर दिया गया है। यदि इकोटेक-11 के आवंटियों द्वारा अपने भूखण्ड की लीज डीड दिनांक 31.03.2019 तक निष्पादित करा लेते हैं तो उन आवंटियों निर्माण/कियाशील हेतु 2 वर्ष का समय निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। यदि आवंटी द्वारा अपनी इकाई को 2 वर्ष में कियाशील नहीं किया जाता है तो स्थगित विलम्ब शुल्क ब्याज सहित आरोपित किया जायेगा।
- सेक्टर-इकोटेक-10 से मेन कल्दा राजवाहो (नहर) को एक तरफ स्थान्तरित किये जाने में लगभग छः माह का समय लगेगा, जिससे ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण को लगभग 200 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी, जिस पर एक औद्योगिक सेक्टर विकसित करते हुये उद्यमियों को औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।
- 3. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष-2012-13 से पूर्व की आवासीय व बिल्टअप हाउसिंग योजनाओं के लिये एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत आवंटियों को निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिये गये-
 - ओटीएस योजना वित्तीय वर्ष-2012-13 से पूर्व की आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणों पर लागू होगी जो वर्तमान में डिफाल्टर है। भविष्य की देयता पर में यह योजना लागू नहीं होगी। प्राधिकरण के सम्बन्धित विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से दिनांक 31.12.2018 तक ओटीएस योजना के समस्त विकल्पों के साथ उनकी सूचना दी जाये। उक्त प्रकार के समस्त आवंटियों की सूची जिसमें देयता का पृथक-पृथक उल्लेख हो, प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
 - ओटीएस योजना लागू होने की तिथि से दिनांक 31.03.2019 तक आवेदन करने पर रू0 2000/- प्रोसेसिंग फीस तथा उसके बाद दिनांक 01.04.2019 से 31.05.2019 तक आवेदन करने पर रू0 5000/- प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी, जिसका समायोजन किसी भी देयता में नहीं किया जायेगा।
 - ओटीएस योजना हेतु आवंटी को वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष समस्त प्रकार की अतिदेयता (Defaulted Amount+64.7% Extra Compensation+Lease Deed Penalty) के कुल योग का 5 प्रतिशत (जो कि जमा होने वाली धनराशि आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित की जायेगी) को आवेदन के साथ जमा करते हुये पत्राचार हेतु पूर्ण पता भी अंकित करना होगा। आवेदन आनलाइन, रजिस्टर्ड पोस्ट एवं प्राधिकरण के डिस्पैच सेन्टर पर उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - ओटीएस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा, आवंटियों से प्रीमियम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से 9.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज लिया जायेगा, आवंटियों से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। यदि आवंटियों द्वारा एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से पूर्व उपरोक्त मदों में समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है, तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
 - ओटीएस योजना के अन्तर्गत जिन आवंटियों द्वारा भूखण्ड/भवन की लीज डीड निष्पादित नहीं करायी गयी है, उन आवंटियों को लीज डीड निष्पादित कराने हेतु छूट प्रदान करते हुये निर्धारित प्रक्रिया के साथ आवेदन करने पर देय लीज डीड बिलम्ब शुल्क का दिनांक 31.03.2019 तक 40 प्रतिशत, दिनांक 01.04.2019 से 30.04.2019 तक 50 प्रतिशत तथा दिनांक 01.05.2019 से 31.05.2019 तक 60 प्रतिशत ही प्राधिकरण में जमा कराना होगा।

4. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की आवंटित विभिन्न परिसम्पत्तियों पर अतिदेय धनराशि को रिशिड्यूलमेंट पॉलिसी की अवधि 31 जनवरी, 2019 तक बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया। यह सुविधा उन्ही आवंटियों को उपलब्ध होगी जिन आवंटियों द्वारा लीज डीड निष्पादित करा ली गयी होगी। रि-शिड्यूलमेंट की सुविधा मिलने से बिल्डर पार्ट पेमेंट करके अपनी अपूर्ण परियोजना को पूर्ण कर पायेंगे तथा इससे शासन के प्रयासों के अनुरूप अधिक से अधिक बायर्स को अपने फ्लैटों का कब्जा मिल सकेगा।
5. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष-2018-19 हेतु जेवर के निकट नौएडा इन्टरनेशन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु कुल अंश पूंजी रू0 4000.00 करोड़ का 12.50 प्रतिशत ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण का अंशदान रू0 500.00 करोड़ किये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।
6. मै0सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं आई.टी.बी.पी., को भूखण्ड संख्या 01, सेक्टर-बी.जेड.पी. एरिया, ग्रेटर नौएडा को आवंटित कुल क्षेत्रफल 400 एकड़ में से 5 एकड़ क्षेत्रफल की केन्द्रीय विद्यालय (Central School) स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।
7. ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति 01 जनवरी, 2016 से लागू किये जाने से सम्बन्धित शसनादेश दिनांक 28.09.2018 के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मा0 बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।
8. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में ई.आर.पी.(Enterprise Resource Planning) साफ्टवेयर सिस्टम लागू किये जाने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य कुशलता एवं कार्य की गुणवत्ता में भी बढोत्तरी होगी तथा समयान्तर्गत कार्य भी पूर्ण होंगे। इस प्रणाली के लागू होने से कार्यों की प्रगति की समीक्षा सुनियोजित/सुदृढ रूप से की जा सकेगी, इससे आम जनता/आवंटियों को भी लाभ प्राप्त होगा। जिसके क्रम में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण में ई0आर0पी0 साफ्टवेयर सिस्टम लागू किये जाने हेतु सिस्टम इण्डीग्रेटर को नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी